**प्राथमिकता - II**

**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. 107\***

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**यूनाइटेड किंगडम की अल्‍प जाखिम विद्यार्थी वीजा सूची से भारतीयों को बाहर रखा जाना**

**\*107. श्री अनुभव मोहंती:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत को अल्‍प जोखिम विद्यार्थी वीजा सूची से बाहर रखा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्‍या इससे ब्रिटेन के विश्‍वविद्यालयों में अध्‍ययन के लिए जाने वाले भारतीय विद्यार्थी शैक्षणिक, वित्‍तीय और अंग्रेजी भाषा कौशल की शर्तों में ढील दिए जाने की सुविधा से वंचित हो जाएंगे; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की समुचित स्‍तर पर यूनाइटेड किंगडम को सरकार के साथ उठाएगी ताकि इस स्‍थिति में सुधार लाया जा सके क्‍योंकि भारत यूनाइटेड किंगडम में विद्यार्थियों को भेजने वाले तीन शीर्ष राष्‍ट्रों में से एक है?

**उत्तर**

**विदेश मंत्री**

**[श्रीमती सुषमा स्‍वराज]**

(क) से (ग) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**“यूनाइटेड किंगडम की अल्प जोखिम विद्यार्थी वीज़ा सूची से भारतीयों को बाहर रखा जाना” विषय पर राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \* 107 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

1. जी, हां। 15 जून 2018 को ब्रिटेन सरकार ने ‘’स्‍टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इमिग्रेशन रूल्‍स’’ की घोषणा की जिससे छात्र वीजा सहित बहुत सी वीजा श्रेणियां प्रभावित हुईं। नए नियमों के अनुसार ब्रिटेन ने उन देशों की सूची का विस्‍तार किया है (जिसे परिशिष्‍ट ज कहा गया है) जिनके नागरिक टियर-4 वीजा के लिए सरलीकृत वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं। इस परिवर्तन से अब कुल 26 देशों (16 पुराने, और 10 नए) को लाभ होगा। भारत इस सूची में शामिल नहीं है। इन देशों की संपूर्ण सूची अनुबंध-1 पर दी गई है।
2. इस घोषणा का भारतीय छात्रों के लिए मौजूदा वीजा आवेदन प्रक्रिया पर और न ही ब्रिटेन में पहले से अध्‍ययनरत भारतीय छात्रों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्‍ली में ब्रिटेन उच्‍चायोग ने 9 जुलाई 2018 को विदेश मंत्रालय को भेजे गए अपने नोट वर्बाल में बताया कि इस घोषणा के परिणामस्‍वरूप भारतीय छात्रों के लिए पिछले वर्षों की तुलना में कार्यप्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
3. भारतीय छात्रों से संबंधित मुद्दों को भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के साथ विभिन्‍न स्‍तरों पर सभी द्विपक्षीय चर्चाओं में निरंतर उठाया जाता रहा है। वर्तमान में, कौंसुली मामलों से संबंधित सभी मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा नई दिल्‍ली और लंदन में कार्यकारी स्‍तर पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। गृह राज्‍य मंत्री और सचिव (गृह मामले) के स्‍तर पर दो संस्‍थागत तंत्र भी हैं जिनमें प्रत्‍येक छमाही में एक बार सभी कौंसुली और वीजा मामलों पर चर्चा की जाती है।

\*\*\*\*\*

**परिशिष्‍ट-1**

**उन 26 देशों की सूची जो टियर 4 वीजा के लिए कम प्रलेखन के पात्र हो गए हैं**

दिनांक 15 जून 2018 के **‘’स्‍टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इमिग्रेशन रूल्‍स’’** के अंतर्गत निम्‍नलिखित 26 देशों के नागरिकों को ब्रिटेन के टियर 4 छात्र वीजा के अंतर्गत कम दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होगी:

1. अर्जेंटीना
2. आस्‍ट्रेलिया
3. बहरीन
4. बारबाडोस
5. बोत्‍सवाना
6. ब्रूनेई
7. कंबोडिया
8. कनाडा
9. चिली
10. चीन
11. द डोमिनिकन गणराज्‍य
12. इंडोनेशिया
13. जापान
14. कुवैत
15. मलेशिया
16. मालदीव
17. मैक्‍सिको
18. न्‍यूजीलैंड
19. कतर
20. सर्बिया
21. सिंगापुर
22. दक्षिण कोरिया
23. थाईलैंड
24. त्रिनिदाद एंड टोबैगो
25. संयुक्‍त अरब अमीरात
26. संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका

\*\*\*\*\*